न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : चन्द्र प्रकाश वर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 49/2014 (GCMS No. 2014/00275)

1. रामस्वरूप पुत्र बीरबल जाति खाती निवासी शोभा का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. विद्याधर पुत्र बीरबल जाति खाती निवासी शोभा का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. जयसिंह पुत्र बीरबल जाति खाती निवासी शोभा का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. श्रीचन्द पुत्र माला (दौराने दावा मृतक)
   4/1 केशरी देवी पत्नी श्रीचन्द
   4/2 मंजू कुमारी पुत्री श्रीचन्द
   4/3 मनकेश कुमारी पुत्री श्रीचन्द
   4/4 मनीाा कुमारी पुत्री श्रीचन्द
   4/5 संदीप कुमार पुत्र श्रीचन्द
   4/6 विकाश कुमार पुत्र श्रीचन्द समस्त जाति जाट निवासी शोभा का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

आवेदकगण

बनाम

1. शिशपाल पुत्र मामराज जाति जाट निवासी शोभा का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. नेमीचन्द पुत्र मामराज
3. मनप्यारी देवी पत्नी ताराचन्द
4. योगेश कुमारपुत्र ताराचन्द
5. मूलचन्द पुत्र ताराचन्द
6. प्रमोद कुमार पुत्र ताराचन्द
7. पिंकी पुत्री ताराचन्द
8. चन्द्रकला उर्फ चन्द्रावली पत्नी भगवाना
9. रमेश पुत्र भगवाना
10. लीलाराम पुत्र भगवाना
11. मनोज पुत्र रामकुमार
12. राजेश पुत्र रामकुमार
13. महेन्द्र पुत्र अर्जन
14. जसवन्त पुत्र अर्जन
15. अशोक पुत्र अर्जन
16. कृणा देवीपुत्री बनवारीलाल
17. माया देवी पुत्री बनवारीलाल
18. ममता देवी पुत्री बनवारीलाल
19. नितू देवी पुत्री बनवारीलाल
20. मीरा देवी पुत्री बनवारीलाल
21. प्रभूदयाल पुत्र राजीव
22. रणजीत सिंह पुत्र राजीव

23. अजीत सिंह पुत्र राजीव समस्त जाति जाट निवासी शोभा का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
24. विशम्भर पुत्र बीरबल जाति खाती निवासी शोभा का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
25. केशर पुत्र माला जाति जाट निवासी शोभा का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
26. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अनावेदकगण

वकील पक्षकारान
वकील प्रार्थी :– श्री राजेश सुण्डा
वकील अप्रार्थी :– श्री राजेश पूनियां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांक 05.06.2024

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम शोभा का बास की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 161 रकबा 1.10 है0, ख0न0 167 रकबा 0.07 है0, ख0न0 168 रकबा 0.52 है0, ख0न0 169 रकबा 0.60 है0, ख0न0 0.70 रकबा है0, ख0न0 171 रकबा 0.50 है0 वख0न0 172 रकबा 0.50 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 4.62 है0भूमि आवेदकगण संख्या 1 लगायत 4 व अनावेदकगण संख्या 24 व 25 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि है।जिसमें मौके पर सभी अपनी सहूलियत के अनुसार बंटवारा कर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की भूमि के सटते हुये पश्चिम दिशा की ओर ख0न0 162, 163 व इनके दक्षिण में ख0न0 164 व 166 स्थित है जो अप्रार्थीगण 1 लगायत 23 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण 1 लगायत 23 काबिज काश्त है। उक्त वर्णित ख0न0 के उत्तर पश्चिम की ओर ग्राम शोभा का बास की आबादी है जिसमें प्रार्थीगण अपने मकानात बनाकर आबाद है। ख0न0 162 व 163 के पश्चिम दिशा की सीमा में से एक रास्ता उत्तर दक्षिण दिशा में ग्राम शोभा का बास से ग्राम लादूसर को जाता है। उक्त रास्ते से प्रार्थीगणके खेत के बीच केवल ख0न0 162 आता है जिसमें से होकर एक रास्ता पूर्व दिशा में प्रार्थी के खेत में से होता हुआ ग्राम बासड़ी जाता है, का उपयोग प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने के लिये करते थे। उक्त रास्ते का अनावेदकगण 1 लगायत 23 नेख0न0 162 में वर्ा 2012 में बंद कर दिया। परन्तु बादमें ग्राम के मोजिज व्यक्तियों के समझाने व खातेदारों द्वारा विरोध करने पर उक्त रास्ता वर्ा 2012 में ही अप्रार्थीगण ने खोल दिया। परन्तु दिनांक 5.07.2014 को अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त रास्ते को ख0न0 162 की पश्चिमी सीमा जहां से रास्ता ख0न0 162 में प्रवेश करता है तथा पूर्वी सीमा जहां पर रास्ता ख0न0 161 व 169 में प्रवेश करता है खाई डोल लगाकर अवरूद्व कर दिया। उक्त रास्ता बंद होने से प्रार्थीगण को अपने खेत में आने–जाने के लिये ग्राम शोभा का बास से रामपुरा, रामपुरा से बासड़ी उसके बाद बासड़ी से अपने खेत में 9 किलोमीटर धुम कर आना पड़ेगा। अन्त में प्रार्थीगण को उनके खेत ख0न0 161 व 169 में आने–जाने के लिए ग्राम शोभा का बास की आबादी से सटते हुये खेत ख0न0 162 के उत्तरी पश्चिमी सीमा से 20 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर प्रार्थीगण को दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ताद्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य पेश किये गये है अप्रार्थी

संख्या 2 की खातेदारी भूमि ख0न0 162 में से कोई रास्ता पूर्व में मौजूद नहीं था। दिनांक 28.04.2012 को पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट में भी ख0न0 163 के पश्चिमी दिशा में ग्राम शोभा का बास से लादुसर जाने वाले रास्ते से निकलकर एक रास्ता ख0न0 163 की दक्षिण सीमा के सहारे–सहारे ख0न0 167 व आवेदकगण के अन्य सह खातेदारों के खेत में प्रवेश करना दर्शित किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 251 का प्रार्थना पत्र तहसीलदार मलसीसर ने ग्राम बासड़ी की ओर से आने वाले वैकल्पिक रास्ते का हवाला देकर प्रार्थना पत्र खारीज किया है। धारा 251क के तहत कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर ही कोई खातेदार अपने खेत में जाने के लिये राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम करवाने का हकदार है। आवेदकगण के खेत में जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता ख0न0 168 व 170 की उत्तर दिशा में ग्राम बासड़ी से आने वाला रास्ता स्थित है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज किया जावे।

अनावेदकगण संख्या 3 लगायत 10 तथा 15 लगायत 25 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ख0न0 162 में से रास्ता दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना जाहीर किया। अनावेदकगण संख्या 1, 11 लगायत 14 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 1, 11 लगायत 14 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 1387 दिनांक 09.12.2015 तथा रिपोर्ट क्रमांक 773 दिनांक 21.12.2017 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 09.12.2015 में दो मौका रिपोर्ट प्रेषित की है साथ ही दिनांक 05.12.2015 की स्वयं की मौका रिपोर्ट पेश की है जिसमें ख0न0 149 के उत्तर में कटानी रास्ते से 149 की सींव के साथ साथ 5 मीटर चौड़ा रास्ता ख0न0 171 तक दिया जाना प्रस्तावित किया है। जिसकी कुल लम्बाई 104 है जो अन्य कटानी रास्ते से कम है। दुसरी तरफ ख0न0 162 के चिपते कटानी रास्ते से दुरी 140 मीटर आती है जो काफी ज्यादा है। अतः ख0न0 149 की पूर्वी सीमा के साथ–साथ न्यूनतम दूरी होने से उक्त रास्ता दिया जाना उचित बताया है। तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त भू0अ0 निरीक्षक की अन्य रिपोर्टो में ग्राम शोभा का बास से लादुसर जाने वाला कच्चा रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज नहीं है, से ख0न0 162 में से होकर दिये जाने वाले रास्ते की दुरी लगभग 131 से 135 मीटर बताई है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्तागण श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि हमारे द्वारा चाहे गये रास्ते के अनुसार तहसीलदार की रिपोर्ट है मौका एवं रिकार्ड के अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार मलसीसर की स्वयं की मौका रिपोर्ट दिनांक 05.12.2015 में ख0न0 149 से होते हुये सबसे नजदीक रास्ता उपलब्ध है जो दिया जा सकता है। धारा 251क के प्रावधानों के तहत न्यूनतम दूरी का रास्ता ही दिया जा सकता है। और कटानी रास्ते से ही रास्ता दिया जा सकता है। तहसीलदार मलसीसर ने अपने स्वयं की मौका रिपोर्ट में ख0न0 149 में से होकर जो रास्ता बताया है वह सबसे नजदीक है तथा कटानी रास्ते से है। प्रार्थीगण द्वारा प्रचलीत रास्ते से रास्ता चाहा गया है जो रिकार्ड में दर्ज नहीं है और जिसकी दुरी भी अधिक है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 251क के प्रावधानों के तहत नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया तथा विवादित स्थल का मौका देखा गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदकगण द्वारा प्रचलीत रास्ते से रास्ता चाहा गया है जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार लधुतम दुरी का नहीं है। तहसीलदार मलसीसर की स्वयं की मौका रिपोर्ट में ख0न0 149 के पूर्वी सीमा से होते हुये कटानी रास्ता है जिसमें से ख0न0 171 तक की दुरी 104 मीटर है जो लधुतम बताई है। आवेदकगण द्वारा वहां से रास्ता नहीं लेना चाह रहे है। ख0न0 161, 167 लगायत 172 आवेदकगण की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पोषणीय नहीं होने से खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्र प्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर